

यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 56

दायरा तिथि : 25.01.2024

आदेश तिथि : 15-02-2024

प्रार्थीगण :-

1. रामसिंह पुत्र पबसिंह
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र पबसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण कोठार तहसील बाली

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012  
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 15-02-2024

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 537 रकबा 1.0500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 430/875 रकबा 0.4000 हैक्टर व खसरा नंबर 536 रकबा 0.4600 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भूअ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1843 दिनांक 08.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भूअ. निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 537 रकबा 1.0500 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क या कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि ग्राम कोठार में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	430/875	0.4000 हैक्टर	वारानी सोयम	104X09= 936 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
	536	0.4600 हैक्टर	वारानी सोयम	98X09= 882 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठार की डी.एल.सी. दर 103493 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी  
बाली (जिला-पाली) राज

//02//  
**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024 / 56**  
 अनवान रामसिंह वगैरा बनाम सरकार  
**अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 537 रकबा 1.0500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1843 दिनांक 08.02.2024 से नया रेकॉर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 537 रकबा 1.0500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 430/875 रकबा 0.4000 हैक्टर व खसरा नंबर 536 रकबा 0.4600 हैक्टर में से 936+882 =1818 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 103493 /-रुपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
430/875	0.4000 हैक्टर	104X09= 936 वर्गमीटर	11	10296X2=20592	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
536	0.4600 हैक्टर	98X09= 882 वर्गमीटर	11	9702X2=19404	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 39,996/- (अक्षरे उनचालिस हजार नौ सौ छियानवे रूपये मात्र ) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।




क्रमांक/कोर्ट/2024/204-208  
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री रामसिंह पुत्र पबसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण कोठार तहसील बाली वगैरा को सूचनार्थ।

(भागीरथ राम)  
 अ.ए.एस.  
 सुपरगण्ड अधीक्षक, बाली  
 बाली (जिला-पाली) तहसील-24

कोठार  
 लि = वाली  
 जिला = पाली  
 पञ्चायत मण्डल = कोठार

CT 36/19/1985  
 119  
 Panchayat Manal



→ उत्तरीय रूपा  
 माफ पर केलना  
 से चल रहा है

अन 430/875 रूपा 0.40 हेक्टेर  
 $104 \times 9 = 936$  वर्ग मीटर  
 व 536 रूपा 0.4 हेक्टेर  
 $98 \times 9 = 882$  वर्ग मीटर  
 असे केली है

*(Handwritten signature)*  
 तहसीलदार

*(Handwritten signature)*  
 तहसीलदार, वाली